

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2019/श्रावण 15, 1941

No. 453]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2019/SHRAVANA 15, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 562(अ).—राष्ट्रपति द्वारा की गई निम्नलिखित घोषणा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है :—

संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा

''सं. आ. 273''

राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि 6 अगस्त, 2019 से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड, सिवाय निम्नलिखित के, जो नीचे दिए गए के अनुसार है, प्रचालन में नहीं रहेंगे, अर्थात् :—

''370. इस संविधान के समय-समय पर यथा-संशोधित, सभी उपबंध बिना किन्हीं उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू-कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य लिखत, संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन यथा परिकल्पित या अन्यथा है, में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जम्म-कश्मीर राज्य को लाग होंगे।''।

राम नाथ कोविंद, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(3)/2019-वि. 1]

डॉ. जी. नारायण राज्, सचिव

4056 GI/2019 (1)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2019

G.S.R. 562(E).— The following Declaration made by the President is notified for general information:—

DECLARATION UNDER ARTICLE 370(3) OF THE CONSTITUTION

"C.O. 273"

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 370 read with clause (1) of article 370 of the Constitution of India, the President, on the recommendation of Parliament, is pleased to declare that, as from the 6th August, 2019, all clauses of the said article 370 shall cease to be operative except the following which shall read as under, namely:—

"370. All provisions of this Constitution, as amended from time to time, without any modifications or exceptions, shall apply to the State of Jammu and Kashmir notwithstanding anything contrary contained in article 152 or article 308 or any other article of this Constitution or any other provision of the Constitution of Jammu and Kashmir or any law, document, judgement, ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law in the territory of India, or any other instrument, treaty or agreement as envisaged under article 363 or otherwise."

RAM NATH KOVIND,
President.

[F. No. 19(3)/2019-Leg. 1] Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.